बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–15/2015(स्वा0)...../ पटना, दिनांकः–.....

डॉ0 विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार के पटना के पत्रांक–3462/अप0शा0 दिनाक–18.12.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में दवा, रसायन, रि–एजेन्ट, उपकरण को आपूर्तिकर्त्ता के मेल में आकर निर्माता कम्पनी से अधिकतम मूल्य दर से काफी अधिक दर पर क्रय करने के कारण कुल 12,63,62,970/– (बारह करोड तिरसठ लाख बासठ हजार नौ सौ सत्तर) की सरकारी राशि का अपव्यय होने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. डा0 सिंह के विरूद्ध विभागीय सकल्प सं0–728(9) दिनाक–17.08.2015 एवं संशोधित संकल्प सं0–1018(9) दिनाक–13.09.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। सचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। डॉ0 सिंह से विभागीय पत्रांक–357(9) दिनांक–30.06.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 सिंह द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में अंकित किया गया है कि वे दिनांक–31.05.2015 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके थे। यद्यपि विभागीय संकल्प सं0–728(9) दिनांक–17.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जो कालबाधित श्रेणी में आता है। किस मशीन के क्रय होने से कितनी सरकारी राशि का अपव्यय हुई, इसका आरोप पत्र में स्पष्ट उल्लेख नही किया गया। डॉ0 सिह विभागाध्यक्ष होने के कारण क्रय समिति के सदस्य थे। अधीक्षक ही उपकरणो के क्रय हेतु सक्षम प्राधिकार थे। डॉ0 सिह द्वारा प्रयोग में आने वाले रसायन/उपकरणो को क्रय करने की अनुशंसा की गयी थी। विभागाध्यक्ष को व्यवहारिक रूप से उपकरणो, मशीनो एवं रसायन का बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त करने का समय नहीं होता है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एव डॉ0 सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि नेफ्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष होने के नाते डॉ0 सिह का पदीय दायित्व था कि विभाग में आवश्यकता के अनुसार मशीन की विशिष्टता को अंकित करते। उपकरणों एवं रि–एजेंटो को दक्षता एंव गुणवत्ता के आधार पर बाजार मूल्य का सर्वेक्षण करते। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार के पत्रांक–3462/अप0शा0 दिनांक–18.12.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डॉ0 सिंह द्वारा कुल–44 (चौवालीस) मशीन/उपकरणो/उपस्करों/दवा का अनियमित रूप से उच्च दर पर क्रय करने के कारण कुल 12,63,62,970/– (बारह करोड तिरसठ लाख बासठ हजार नौ सौ सत्तर) रूपये की सरकारी राशि का दुर्विनियोग किया गया है।

5. फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 सिंह के विरूद्ध दवा, उपकरणों, उपस्कर एवं रि–एजेंटों के क्रय में अनियमितता बरतने के आरोप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 25% (पच्चीस) प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डॉ0 विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में आपूर्तिकर्त्ता के मेल मे आकर अधिकतम खुदरा मूल्य के अधिक दर पर दवा, रसायन, रि–एजेन्ट, उपकरण क्रय करने के कारण कुल 12,63,62,970/– (बारह करोड तिरसठ लाख बासठ हजार नौ सौ सत्तर) रूपये की सरकारी राशि का अपव्यय होने के

29/07/2025

(15)

प्रमाणित आरोप मे अधिसूचना निर्गत की तिथि से 25% (पच्चीस) प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–15/2015(स्वा0) 866(9) **/पटना,** **दिनांकः–** 29.7.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/प्राचार्य एव अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ मत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्रावार का पताः–बृजनाथ किडनी हॉस्पीटल ऑपोजिट करतार कोचिंग, मखनियॉ कुआँ रोड, पटना–04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18Λ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/07/2025
सरकार के अवर सचिव।